तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2424/2004/अलवर सुल्तानसिंह बनाम हादुलसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री नरेन्द्र गुप्ता, सदस्य

उपस्थित
श्री पूनम माथुर, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,किशनगढबास द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–05–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलौच्य आदेश दिनांक 19–05–2004 के द्वारा परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ने प्रार्थीगण/वादीगण का प्रतिवादीगण के गवाह से जिरह के अवसर को समाप्त किया गया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थीगण को प्रकरण में प्रतिवादीगण के गवाह से जिरह करने का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया। इससे प्रार्थीगण अपना प्रकरण को साबित नही कर सकेगें तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ही वाद को निर्णित कर दिया जायेगा। प्रार्थीगण अपनी जिरह बंद होने से प्रीज्यूडिस होगें व न्याय से महरूम रहेगें। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के अंत में प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करने व परीक्षण न्यायालय में प्रार्थीगण को जिरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2424/2004/अलवर सुल्तानसिंह बनाम हादुलसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करने का अवसर प्रदान करने का निर्देश प्रदान करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थीगण को गवाह से जिरह करने बाबत समुचित अवसर प्रदान किये थे, परन्तु उनके द्वारा जिरह नहीं की गयी, जिसकी पुष्टि परीक्षण न्यायालय की आदेशिका से होती है। इसी आधार पर परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जो विधिसम्मत था। बहस के अंत में विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत निगरानी को सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के उपरोक्त संपूर्ण विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थीगण को प्रतिवादीगण के गवाह से जिरह करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया था परन्तु उनके द्वारा समुचित अवधि दिये जाने के पश्चात भी जिरह नहीं गयी थी। प्रार्थीगण को दिनांक 25-02-2004, 31-03-2004, 21-04-2004 जिरह हेतु अवसर प्रदान किये गये थे परन्तु उनके द्वारा इस अवधि में जिरह नहीं की गई। इसमें प्रार्थीगण की लापरहवाही स्पष्ट दिखायी देती है। परन्तु निगरानी में वर्णित तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर स्पष्ट है कि मूल वाद प्रतिवादीगण की साक्ष्य में विचाराधीन चल रहा था। पक्षकारों के मध्य वाद का गुणावगुण पर अंतिम निर्णय तभी संभव हो सकेगा जब पक्षकारों को अपनी साक्ष्य व जिरह पूर्ण करवाने का अवसर प्रदान किया जावेगा। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार भी संबंधित पक्षकारों को अपनी साक्ष्य व जिरह पूर्ण करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अतः हम न्यायहित में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2424/2004/अलवर सुल्तानसिंह बनाम हादुलसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी को स्वीकार करते हुये रूपये 1000/– का जुर्माना (कोस्ट) प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण पक्ष को भुगतान करने की शर्तों पर प्रार्थीगण को प्रतिवादीगण के गवाह से जिरह करने का अवसर प्रदान करते है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.05.2004 अपास्त किया जाता है। प्रार्थीगण परीक्षण न्यायालय में इस आदेश से दो माह की अवधि में प्रतिवादीगण के गवाह से जिरह कर सकेगे। उसके पश्चात प्रार्थीगण को दिया गया जिरह का अवसर स्वतः ही बंद माना जावेगा। प्रार्थीगण नियत तारीख पेशी पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(नरेन्द्र गुप्ता)** **सदस्य**	